**<u>न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।</u>**

प्रकीर्ण वाद संख्या–165 सन 2026

शुभम कुमार बनाम संजय उर्फ टीटू आदि।
अं.धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना नागल, जिला सहारनपुर।

**<u>दिनांक–12.08.2026</u>**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम कुकावी थाना नागल जिला सहारनपुर का निवासी है, तथा दिनांक 25.06.2026 को शाम 4.30 बजे की बात है कि प्रार्थी अपने खेत पर पानी चलाने गया था, तो वहां पर संजय उर्फ टीटू पुत्र ज्ञानचन्द, आर्यन पुत्र संजय उर्फ टीटू, सीटू पुत्र ज्ञानचन्द निनासीगण ग्राम कुकावी थाना नाल जिला सहारनपुर मिले तथा धमकी दी कि यदि तूने इस नाली से पानी चलाया तो तुझे जान से मार देंगे, प्रार्थी डर की वजह से अपने घर चला आया, तो करीब पोने पांच बजे शाम मुल्जिमान संजय उर्फ टीटू पुत्र ज्ञानचन्द, आर्यन पुत्र संजय उर्फ टीटू, सीटू पुत्र ज्ञानचन्द व रीटा पत्नी संजय उर्फ टीटू अपने हाथों में हथियारों को लेकर प्रार्थी के मकान के अन्दर घुस आये तथा प्रार्थी को देखते ही मां बहन की गन्दी गालियां देते हुए कहने लगे कि तुझे खेत पर ऐठने का मजा चखाते है तथा मेरे साथ मुल्जिमान ने लाठी डंडो व सरियों से जान से मारने की नियत से मारपीट करने लगे तथा आर्यन ने मेरी कोली भर ली तथा रीटा ने जबरदस्ती मेरी जेब से 100/–रू० हथियार का भय दिखाकर निकाल लिये, मेरे शोर पर गवाहान सुभाषचन्द पुत्र कालूराम, सुनील कुमार पुत्र ज्ञानचन्द, जिलेसिंह पुत्र महीपाल आदि ग्रामवासी आ गये, जिन्होंने कुल वाका देखा व मेरी जान बचाई, जाते वक्त मुल्जिमान आईन्दा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी दे गये, फिर परिवार वाले मुझे थाने ले गये, थाने से मजरूबी चिट्ठी के आधार पर सरकारी अस्पताल नागल में मैडिकल कराया तथा प्रार्थी को एक्स–रे के लिये सहारनपुर अस्पताल के लिए रेफर कराया गया। सहारनपुर अस्पताल में मेरा सिर का एक्स–रे हुआ। प्रार्थी दिनांक–25.06.2026 से 29.06.2026 तक सहारनपुर अस्पताल में भर्ती रहा।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, एक किता प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मय डाक रसीद, एक किता चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र, एक किता जिला अस्पतार सहारनपुर की डिस्चार्ज स्लिप, एक किता नागल अस्पताल की एक्स–रे रेफर स्लिप, एक किता आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

सम्बन्धित थाने से आख्या तलब की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से विदित होता है आवेदक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में वपक्षीगण पर प्रार्थी के घर में घुसकर लाठी डंडो व सरिया से मारपीट करने, गाली गलोच करने व जान से मारने की धमकी देने तथा उसकी जेब से 1000/– रूपये हथियार का भय दिखारकर निकालने का आरोप लगाया गया है। उक्त प्रकरण मारपीट से संबंधित है। आवेदक द्वारा मारपीट में आई चोटों के संबंध में मैडिकल प्रपत्र दाखिल किये गये है। जिसमें चौटिल/पीड़ित शुभम चौधरी के सिर पर (L.M.) चोंट आने का कथन अंकित है। इस सम्बन्ध में थाने से प्राप्त आख्यानुसार थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया गया है उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में मामले को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर कर न्याय के उद्देश्य की वास्तविक पूर्ति नहीं हो सकेगी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में जिस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया गया है, उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया ही संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रदर्शित करते हैं तथा समस्त तथ्य ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में सम्यक विवेचना कराया जाना ही न्यायोचित होगा।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था *<u>फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या 781 वर्ष 2012 निर्णय दिनांकित 19–03–2015 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम</u>*

*उ.प्र.राज्य एवं अन्य विनिर्णय रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (43) ए.सी.सी. पेज 50 एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित विनिर्णय सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 472* में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं प्रस्तुत मामलों के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले के सत्य के अन्वेषण हेतु विवेचना कराया जाना न्यायोचित होगा, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

**आदेश**

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित थानाध्यक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय प्रेषित करें। आदेश की प्रति सम्बन्धित लिपिक सम्बन्धित थाने को अविलम्ब प्रेषित करें।

**(आशीषानन्द)**
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर।
जे.ओ.कोड यू.पी. 3698